2023 के आम चुनाव में वोट के लिए आपकी गाइड।

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI

E231 06/23 Hindi

समझें कि 2023 में क्या उम्मीद करनी चाहिए और वोट कैसे करना है

सुनिश्चित करें कि आप नामांकित हैं और आपका विवरण अप-टू-डेट है।

वोट करने के लिए, आपका नामांकित होना आवश्यक है। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक या स्थायी निवासी हैं, और आप अपने जीवन में, न्यूज़ीलैंड में 12 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए लगातार रहे हैं, तो आपको नामांकन ज़रूर कराना चाहिए।

ऑनलाइन नामांकन करें, अपना विवरण जाँचें या अपडेट करें

अपने न्यूज़ीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस, न्यूज़ीलैंड पासपोर्ट या RealMe सत्यापित पहचान का इस्तेमाल करके खुद को ऑनलाइन नामांकित करना, अपने विवरण को जाँचना या अपडेट करना बहुत आसान है।

- **vote.nz पर जाएँ**
- **0800 36 76 56 पर कॉल करें**
- **मुफ़्त में अपना नाम और पता 3676 पर भेजें**

आपका EasyVote पैक

अगर आप रविवार 10 सितंबर तक नामांकित हो जाते हैं, तो आपको डाक में एक EasyVote पैक मिलेगा।

आपका EasyVote पैक आपको बताएगा कि आप कब वोट कर सकते हैं और आप किसे वोट दे सकते हैं। आपके पैक में आपका व्यक्तिगत EasyVote कार्ड भी शामिल होगा, जो वोट देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आप अपने EasyVote कार्ड के बिना भी वोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है।

अगर आप रविवार 10 सितंबर के बाद नामांकन करते हैं, जिसमें चुनाव का दिन भी शामिल है, तो आपको अपना EasyVote कार्ड नहीं मिलेगा। आपको एक विशेष वोट डालने की आवश्यकता होगी, जिसमें अधिक समय लगता है।

वोटिंग शुरू होगी: सोमवार 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे

वोटिंग बंद होगी: चुनाव के दिन, शनिवार 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे

वोटिंग करने के स्थल कब खुलेंगे और वे कहाँ मिलेंगे

आप सोमवार 2 अक्टूबर से चुनाव दिवस, शनिवार 14 अक्टूबर तक किसी भी वोटिंग स्थल पर आम चुनाव में नामांकन और वोट कर सकते हैं।

चुनाव के दिन, शनिवार 14 अक्टूबर को, सभी वोटिंग स्थल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

वोटिंग स्थलों की जगहों और खुलने के समय के बारे में जानकारी सितंबर के मध्य से **vote.nz** पर या **0800 36 76 56** पर कॉल करके उपलब्ध होगी।

नामांकन और वोट करने के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें

- **vote.nz पर जाएँ**
- **0800 36 76 56 पर कॉल करें**

अगर यह जानकारी आपके किसी परिचित के लिए उपयोगी हो सकती है, तो कृपया उन्हें इसके बारे में बताएँ।

नामांकन और वोट करने के बारे में जानकारी **vote.nz** पर अन्य भाषाओं और सुलभ फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध है

वोट कैसे दें

1 अपना EasyVote कार्ड लाएँ

अपना EasyVote कार्ड अपने साथ रखें क्योंकि इससे वोट करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपना कार्ड भूल जाते हैं या आपके पास कार्ड नहीं है तब भी आप वोट कर सकते हैं।

2 आपकी सहायता के लिए वोटिंग स्थल पर कोई होगा

आपके वोटिंग स्थल पर चुनाव कर्मी आपको बताएँगे कि क्या करना है और कहाँ जाना है।

3 आम चुनाव में वोट करें

आम चुनाव में, आपको दो वोट मिलते हैं - एक पार्टी वोट और एक निर्वाचन क्षेत्र वोट।

आपका पार्टी वोट

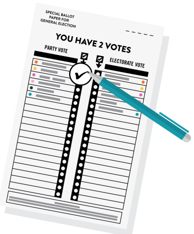

आपका पार्टी वोट उस राजनीतिक दल के लिए है जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं।

यह वोट मोटे तौर पर यह तय करता है कि संसद में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। पार्टी वोट का बड़ा हिस्सा रखने वाली पार्टियों को संसद में अधिक सीटें मिलेंगी।

आप राजनीतिक दलों की उसी सूची में से चुन सकते हैं, चाहे आप सामान्य सूची में हों या माओरी सूची में।

अपने वोटिंग पेपर पर, अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी के नाम पर टिक लगाएँ।

आपका निर्वाचन क्षेत्र वोट

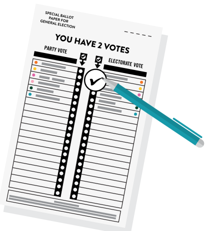

आपका निर्वाचन क्षेत्र वोट उस उम्मीदवार को चुनने के लिए है जिसे आप उस क्षेत्र के लिए संसद सदस्य (सांसद) बनाना चाहते हैं जहाँ आप रहते हैं।

आपके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार आपके निर्वाचन क्षेत्र का सांसद बन जाता है। वे संसद में आपके स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अगर आप माओरी सूची पर हैं, तो आप माओरी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे।

अगर आप आम सूची पर हैं, तो आप आम निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे।

अपने वोटिंग पेपर पर, उस उम्मीदवार के नाम पर टिक लगाएँ जिसे आपके विचार से आपके स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

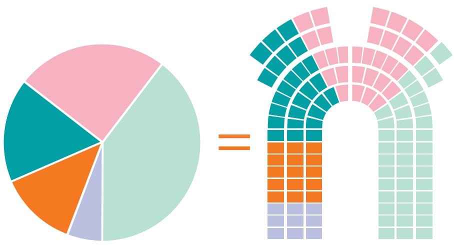

पार्टी के वोटों का यह अनुपात = संसद में सीटों का समान अनुपात

4 अपना वोटिंग पेपर उपलब्ध कराए गए बैलट बॉक्स में रखें

और बस - आपने वोट दे दिया!

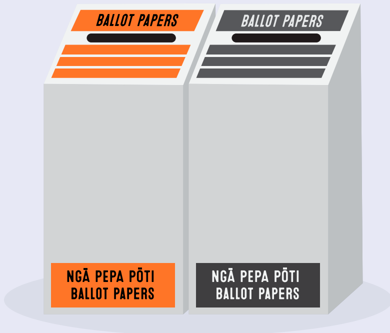

क्या आप वोटिंग स्थल तक नहीं पहुँच सकते?

अगर आप बीमारी, उम्र या दिव्यांगता के कारण वोटिंग स्थल तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप वोट करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए **vote.nz** पर जाएँ या **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

अगर आप किसी देखभाल गृह में हैं, तो आपका स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधक वोटिंग सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए आपके देखभाल गृह के प्रबंधक से संपर्क करेगा।

अगर आप अस्पताल में होने के कारण वोटिंग स्थल पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो सोमवार 2 अक्टूबर से कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपके पास आपका वोटिंग पेपर ला सकता है।

विदेश से वोट देना

अगर आप विदेश से वोट दे रहे हैं, तो आपको शुक्रवार 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक नामांकित होना होगा। आप **vote.nz** पर अपना नामांकन या विवरण अपडेट कर सकते हैं

आप बुधवार 27 सितंबर से शनिवार 14 अक्टूबर शाम 7 बजे तक (NZ समय) विदेश से वोट दे सकते हैं।

विदेश से वोट देने का सबसे आसान और तेज़ तरीका है कि आप अपना वोटिंग पेपर डाउनलोड करें और पूरा करें और फिर इसे **vote.nz** पर अपलोड करें

विदेश से फ़ोन करना: +64 9 909 4182 (अंतरराष्ट्रीय कॉल दरें लागू हो सकती हैं)

न्यूज़ीलैंड से फ़ोन: 0800 36 76 56

क्या आपको अपने वोटिंग पेपरों को पढ़ने या उन पर निशान लगाने में मदद चाहिए?

कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या निर्वाचन अधिकारी आपके वोटिंग पेपर को पढ़ने या उस पर निशान लगाने में आपकी मदद कर सकता है। वह व्यक्ति:

- आपके साथ वोटिंग स्क्रीन के पीछे जा सकता है
- वोटिंग पेपर पर लिखे शब्दों और जानकारी को पढ़ कर सुना सकता है
- आपके कहने पर आपके लिए वोटिंग पेपर पर निशान लगा सकता है।

वह आपको यह नहीं बता सकता है कि आपको आम चुनाव में किसे वोट देना चाहिए।

अगर आप देखने में असमर्थ हैं, आंशिक रूप से देख नहीं पाते हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जिसका अर्थ है कि आप मदद के बिना अपने वोटिंग पेपर पर निशान नहीं लगा सकते हैं, तो आप टेलीफ़ोन डिक्टेशन सेवा का इस्तेमाल करके वोट दे सकते हैं।

इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको रजिस्टर कराना होगा।
0800 028 028 पर कॉल करें और रजिस्टर करने के लिए विकल्प 1 चुनें।

आप सोमवार 11 सितंबर से, शनिवार 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक रजिस्टर करा सकते हैं।

इस सेवा के बारे में अधिक जानने के लिए **vote.nz** पर जाएँ।